राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र श्री गोगल लाल पिता नारायण बलाई निवासी रायला
तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

दायर
06/02/2013

प्रकरण संख्या
02/2013

निर्णय दिनांक
24/06/2016

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है प्रार्थी श्री गोगल लाल पिता नारायण बलाई निवासी रायला ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2011 को तहसीलदार बनेड़ा के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि ग्राम रायला में सुखदेव पिता चतरा बलाई के नाम दर्ज भूमि का खाता प्रार्थी के नाम से दर्ज किया जायें।

श्री सुखदेव पिता चतरा बलाई निवासी रायला की मृत्यु सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 22.03.2011 को हो गई एवंम सुखदेव पिता चतरा बलाई की पत्नि ऐजीबाई बलाई की मृत्यु भी संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 17.08.2011 को हो गई। अपजिकृतं वसियत पत्र दिनांक 06..06.2003 को श्री गोगल लाल पिता नारायण बलाई निवासी रायला के पक्ष में लिखी गई होकर शामिल पत्रावली है।

मृत्तक श्री सुखदेव पिता चतरा बलाई निवासी रायला ने अपने खुद के हिस्से कि चल अचल सम्पति जो कि स्वयं के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है की वसियत अपने गोदपुत्र गोगल पिता नारायण बलाई निवासी रायला के नाम की।

प्रार्थी द्वारा वसियतकर्त्ता के हक हिस्से की जमीन ग्राम रायला कि आराजी नम्बर 238/1, 239, 245, 246/1, 248, 249/1, 356/2 कुल किता 7 रकबा 13–11 बीघा पर वसियत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने कि प्रार्थना की ।

प्रार्थना पत्र के साथ अपंजिकृत वसियत नामे की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया, जमाबन्दी नकल ग्राम रायला पटवारी हल्का रायला खाता संख्या 1599, सम्वत् 2069–72 पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र की जांच भू अभिलेख निरीक्षक रायला से कराई गई भू अभिलेख निरीक्षक रायला ने जांच रिपोर्ट पेश कि जिसमें वसियतकर्त्ता को ना–औलाद फौत बताया एवंम पत्नि की भी मृत्यु होना बताया जो शामिल पत्रावली है।

अपंजिकृत वसियत नामें के सम्बन्ध में दिनांक 13.02.2013 को अपंजिकृत वसियतनामें में दर्ज साक्षीयों एवंम प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कराते हुए बयान दर्ज कराये गये जिसमें साक्षीयों ने बताया की वसियतकर्त्ता एवंम उनकी पत्नि की वृद्धअवस्था में सेवा चाकरी गोगल ही करता था एवंम बाद मृत्यु सामाजिक एवंम हिन्दू रीति रिवाजों का कार्यक्रम भी गोगल द्वारा ही किया गया एवंम वसियतकर्त्ता के नाम दर्ज कृषि भूमि पर भी गोगल का कब्जा है एवंम वो ही काश्त करता आ रहा है सभी साक्षीयों के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू. अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

अपंजिकृत वसियत नामें के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करवाने हेतु दिनांक 05.03.2014 को नोटिस वास्ते आम सुचना जारी किया गया एवंम स्थानीय समाचार पत्र लोक जीवन में दिनांक 10.03.2014 को उजर एतराज हेतु सात दिन का समय दिया गया किसी व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई गई समाचार पत्र की उक्त प्रति शामिल पत्राावली है।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन व मनन किया मुताबिक अपंजिकृत वसियत नामे के गवाहान् के बयान, रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक रायला एवंम बाद समाचार पत्र लोकजीवन की सूचना के कोई आपत्ति एवंम उजर एतराज प्राप्त नही होने से यह प्रमाणित होता है कि श्री सुखदेव पिता चतरा बलाई निवासी रायला ने अपने जीवित रहते हुए चल अचल सम्पति की एक अपंजिकृत वसियत की जिसके आधार पर श्री सुखदेव पिता चतरा बलाई निवासी रायला के नाम दर्ज ग्राम रायला की कृषि भूमि आराजी नम्बर 238/1, 239, 245, 246/1, 248, 249/1, 356/2 कुल किता 7 रकबा 13–11 बीघा को गोगल लाल पिता नारायण बलाई निवासी रायला तहसील बनेड़ा के नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

–:आदेशः–

अतः मुताबिक अपंजिकृत वसियत पत्र के ग्राम रायला तहसील बनेड़ा के आराजी नम्बर 238/1, 239, 245, 246/1, 248, 249/1, 356/2 कुल किता 7 रकबा 13–11 बीघा भूमि जो की वसियतकर्त्ता सुखदेव पिता चतरा बलाई निवासी रायला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है को श्री गोगल लाल पिता नारायण बलाई निवासी रायला तहसील बनेड़ा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार हो व अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का रायला को लिखा जावें। निर्णय को आज दिनांक 24/06/2016 को लोक अदालत केम्प चमनपुरा में खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(भंवर लाल कांसोटिया)

Scanned by CamScanner